Phone & Fax 0135-2658294,



कार्यालय–वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 3045/ 12-1

दिनांक

21 अप्रैल, 2025।



सेवा में

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,

उत्तराखण्ड देहरादून।

उत्तराखण्ड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेस विषय :--वे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास किमी0 0.050 से किमी 12.220 तक निर्माण हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतू भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन | (Online Proposal No.- FP/UK/ROAD/140350/2021)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संदर्भ :--संख्या-8बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 67 / 2023 / एफ0सी0, दिनांक-17.03.2025 |

महोदय.

भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा लगाई गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण प्रयोक्ता एजेन्सी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग ने अपने कार्यालय पत्रांक- 6519/12-1 दिनांक-11/04/2025 से निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है:-

SNo	EDS	Reply
1	The DFO Dehradun and Project Proponent shall submit a technical specification and details of attempts made to reduce the felling of trees and findings thereof.	 In forest area a ROW of only 30m has been proposed in most of length. The top width for a 4-lane divided highway with a minimum 2.5 m of median works out to be 23.5 in plain and rolling terrain. The ground is not exactly flat and is undulating in which cutting and fills are required would be 27.5 m for maintain adequate slopes, leaving no room for trees. The project road is falling plain and rolling terrain. The recommended ROW for 4-Lane Highways is as below: 45 m as per IRC : 73-2023 Geometrics Design Standards for Non-Urban Road-Para 4.1, Table 4.1 (Enclosure-1) 60 m as per IRC-SP-84-2019, Manual for four laning highways-Para 2.3 (Enclosure-2) Best efforts were made to minimize the no. of trees as well as forest land proposed for diversion and alternatives is also examined but selected route is most viable with minimum tree involvement. Apart form above the following is also submitted: A joint inspection was conducted with the representatives of the Forest Department and NHAI on 20.07.2023 to review the alignment falling in the forest land. Since this highway is planned as fully access controlled for fast moving of traffic, the ruling speed is 100 kmph. To minimize forest land a deficient geometrics with speed restriction of 80 kmph has been adopted. The adopted alignment was found to be most suitable and adopted accordingly. Normally Right of Way of 60 m is adopted for 4/6 lane access controlled high ways. In this project, to minimize cutting of trees a bare minimum ROW of 30 m has been adopted. It may be appreciated that the width of the structures is 25.5 m. considering again a joint site visit with DFO Dehradun was conducted on 05.03.2025, and the possibility of shifting the alignment over the existing 50ft fire line for a length of 1Km at a distance of 40m from adopted alignment) has been explored. vi) However, DPR consultant after conducting detailed examination and tree counting o

-		more number of large size trees would have to be felled"
2	The project proponent shall submit an undertaking that the final outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No. 1164/2023 dated 03.02.2025 shall be complied.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण—पत्र संलग्न है कि ''उक्त परियोजना हेतु Final Outcome w.r.t Hon'ble Supreme Court Orders in the CWP (C) No-1164/2023 Dated 03-02-2025 shall be complied इसमे प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।''
3	The DFO Dehradun shall prepare a plan for fencing (wall fencing) around the forest land adjacent to the proposed road to avoid any encroachment and protect forest land from collateral damage. The cost of the proposed wall shall be borne by the user agency.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग एवं आबादी के बीच के वन क्षेत्र को भविष्य में अतिक्रमण से बचाने हेतु दीवार निर्माण की योजना तैयार की गई है (संलग्न–04)। दीवार निर्माण का व्यय प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वहन किया जायेगा। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया गया है (संलग्न–05)।
4	The DFO Dehradun shall prepare a plan for fencing (wall fencing) in the patches of adjacent forest lands inside the residential area that are prone to encroached in future. The cost shall be borne by the user agency.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया है। वर्तमान में WII द्वारा उनके नियंत्रणाधीन वन क्षेत्र के चारो ओर फैन्सिंग कार्य कराया जा रहा है। इस विषय में प्र0 व0 द्वारा अपनी पत्र संख्या– 6297/12–1, दिनांक 02.04.2025 (संलग्न–06) से विस्तृत विवरण हेतु सूचना मांगी गयी है। तद्नुसार ही अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
	The state Forest Department shall ensure that the CA area shall be planted with minimum 50% of Sal Trees.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रस्ताव में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अन्तर्गत है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी द्वारा अपने पन्न संख्या—9755 / 12—1, दिनांक 07.04.2025 (संलग्न—07) से अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र समुद्रतल से लगभग 1200—1400 मी0 ऊंचाई पर स्थित है, जिनमें साल पौधों का रोपण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति जैसे बांज, भीमल, खड़िक, आंवला, रीठा, तेजपत्ता, दाड़िम, मेहल, काफल आदि पौधों का रोपण किया जाना सम्भव हो पायेगा।

अतः भारत सरकार द्वारा चाही गयी सूचना/आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून कि

पत्रांकः— <u>उ७५९ / १२-। तद्दिनांकित।</u> प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

OK

(राजीव धीमान) वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उल्तराखण्ड, देहरादून।